न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–1046/2013

1.जोरासिह पुत्र भागसिह
2.किस्मत कौर पत्नी चेतराम } जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. गुरनामकौर उर्फ शकीना पत्नी भागसिह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. फूलकौर उर्फ फूलांदेवी पत्नी नसीबसिह पुत्री भागसिह जाति सिकलीगर निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री महावीरप्रसाद वर्मा, सुरेन्द्रसिह अधिवक्ता वादीगण
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :–

वादीगण ने यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी सं0 1 के पिता व वादीसं0 2 के भाई एंव प्रतिवादीसं0 1 के पति स्व0 भागसिह के नाम से तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 135/119 में कुल .506 है0 कृर्षि भूमि तथा खाता सं0 177/155 में कुल .506 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृर्षि भूमि का वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने घरा घरू बटवारा कर रखा है एंव इसी अनुसार वादीगण उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आरहे है तथा रकम राज एंव आबयाना जमा करवाते चले आ रहे है। लेकिन घरू बटवारां के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादीगण घरू बटवारां अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित घरू बटवारां के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी घरू बटवारां में वादीगण को वादपत्र की दफा 3 के अनुसार बटवारां कर दी हुई है व प्रतिवादीया सं0 1 उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। इसलिए वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार बटवारां में प्राप्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई उज्र व एतराज नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर, न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2014 को वाद का निस्तारण करते हुए वाद डिक्री किया जाकर वादी सं0 1 जोरासिह के नाम से चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 177/155 प0न0 236/288 मु0 8 किलानं0 2/1/.228 है0 नाली प्रथम व 2/2/.025 है0 गै0मु0 कुआं तथा चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 135/119 में

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
टिब्बी

Scanned with CamScanner

से भागसिह के हिस्सा की .506 है0 भूमि तथा वादीया सं0 2 किस्मतकौर को चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संव 2069 ता 72 के खाता सं0 177/155 प0न0 236/288 मु0 8 किलानं0 21 सालम कृर्षि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जोकर खाता हाजों में से नवाबसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये।

प्रतिवादीया सं0 2 फूलोदेवी द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2014 की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ में की जिसमें प्रतिवादीया सं0 2 अपीलान्टा थी। अपीलान्टा के पिता भागसिह का स्वर्गवास हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने भागसिह की पत्नी व भागसिह की बहिन को पक्षकार बनाकर घोषणा का अनुतोष चाहा। लेकिन भागसिह की पुत्री होने के नाते मुझ अपीलान्टा का भी भागसिह की आराजी में हक व हिस्सा बनता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

अपील में बहस सुनी गई। अपील अपीलान्टा आशिंक रुप से स्वीकार की जाकर न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 10.01.2014 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्टा को प्रकरण में पक्षकार के रुप में संयोजित किया जाकर साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए स्व0 भागसिह के जायज एंव कानूनी वारीसान की जॉच करते हुंए वारीसान के संबध में संतुष्टि करते हुए पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली में दिनांक 30.07.2018 मुकर्रर की गई।

पत्रावली इस न्यायालय मे 17.12.2019 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो शामिल मिसल किया। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश किया व निवेदन किया कि हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान आज हाजिर अदालत होकर अपना राजीनामा न्यायालय में पेश करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीया सं0 2 कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। मुताबिक राजीनामा भागसिह के नाम की कुल 4 बीघा कृर्षि भूमि जो दिनांक 10.01. 2014 के निर्णय में वर्णित है में से एक बीघा भूमि किस्मतकौर के व 3 बीघा भूमि वादी जोरासिह के नाम से अंकन की जाती है व दिनांक 10.01.2014 को पारित डिक्री यथावत रखी जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा 100/–रुपये के स्टाम्प पर अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया व साक्ष्य के रुप में प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादीयासं0 2 ने निवेदन किया कि है कि वह कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 10.01.2014 को निर्णित डिक्री को यथावत रखा जाता है तो हमें कोई एतराज नही है।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों राजीनामा, शपथ पत्र प्रतिवादीगण व शपथ पत्र प्रतिवादीया सं0 1 का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी भागसिह के नाम से दर्ज है। उक्त वाद में पूर्व में दिनांक 10.01.2014 को निर्णय व डिक्री पारित किया हुआ है व राजीनामा में भी प्रतिवादीगण द्वारा उसे यथावत रखने का निवेदन किया गया है। जिस कारण से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2014 को यथावत रखा जाता है व दिनांक 10.01.2014 को पारित निर्णय व डिक्री में अंकित चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 177/155

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
टिब्बी

Scanned with CamScanner

प0न0 236/288 मु0 8 किलानं0 2/1/.228 है0 नाली प्रथम व 2/2/.025 है0 गै0मु0 कुआं तथा चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 135/119 में से भागसिह के हिस्सा की .506 है0 भूमि का वादी सं0 1 जोरासिह को तथा वादीया सं0 2 किस्मतकौर को चकनं0 3 टीएल डबल्यू जमाबन्दी संव 2069 ता 72 के खाता सं0 177/155 प0न0 236/288 मु0 8 किलानं0 21 सालम कृर्षि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता हाजों में से नवाबसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned with CamScanner